बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

सूचना

सेवा निवृत्त प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक की संविदा पर नियुक्ति:-

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के परिपत्र सं0-556 दिनांक-19.02.2008 के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग के सूचना-सह-जन शिकायत कोषांग, पटना में सृजित प्रशाखा पदाधिकारी के एक पद पर बिहार सचिवालय सेवा के सेवानिवृत्त प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक को संविदा के आधार पर निम्न शर्तों के तहत नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है:-

(i) संविदा के आधार पर नियुक्ति 1 (एक) वर्ष के लिए होगी ।

(ii) विज्ञापन की अंतिम तिथि को आयु 64 वर्ष से अधिक नहीं होगी । अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी।

चयन हेतु आवेदन के साथ सेवानिवृत्त प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक के सेवाकाल का सेवा इतिहास स्वच्छ रहना आवश्यक होगा । (हाल में सेवानिवृत्त प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक को चयन में अधिमानता दी जायेगी ।

(iii) चयनित व्यक्ति को सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन से पेंशन की राशि को घटाकर शेष राशि पारिश्रमिक/मानदेय के रूप में भुगतेय होगी जिसकी अधिकतम सीमा प्रतिमाह 10,000/- (दस हजार रूपये) होगी ।

(iv) अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जायेंगे । इस प्रकार नियोजित व्यक्तियों द्वारा नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितिकरण का दावा मान्य नहीं होगा ।

(v) अनुबंध समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति का पुनर्नियोजन नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका अनुबंध स्वत: समाप्त माना जायेगा और इसके लिए किसी आदेश का निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा ।

(vi) संविदा अवधि समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर या एक माह की संविदा राशि एक मुश्त देकर समाप्त की जा सकेगी ।

(vii) इच्छुक सेवा निवृत्त पदाधिकारी पूर्ण विवरण के साथ अपना आवेदन निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से अवर सचिव ग्रामीण विकास विभाग, मुख्य सचिवालय, बिहार, पटना को भेजेंगे ।

(viii) आवेदन दिनांक-31.05.2013 के अपराह्न 05:00 बजे तक विभाग में प्राप्त हो जाना चाहिए।

2. ग्रामीण विकास विभाग के बेवसाईट www.rlrsec.bih.nic.in पर भी इस सूचना को देखा जा सकता है ।

22/5/13

(महेन्द्र भगत)

सरकार के उप सचिव

ग्रामीण विकास विभाग

बिहार, पटना ।